न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी-13883-II-15

प्र. क्र. /

1. बिन्दा , 2 मनीराम 3 दुलारे
4. शम्भू 5 कुइशा 6. प्रभू पुत्रगण
जागेश्वर , 7. श्रीमती आशा देवी पत्नी
स्व. सुदर्शन कहार समस्त निवासीगण
ग्राम पुरैनी उप तह. नई गढी (तह. मउगंज)
जिला रीवा म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

1. ठाकुर प्रसाद 2. मदन मोहन 3. सूर्यमणी
4. गोपिका प्रसाद पुत्रगण चन्द्रपाल
5. गोविन्द प्रसाद 6. शोभामणी ,
7 संतोष मणी 8. सुरेश मणी , समस्त
पिता इन्द्रपाल राम , समस्त निवासीगण
ग्राम पुरैनी उप.तह. नई गढी , (तह.
मउगंज (जिला रीवा म.प्र. -- अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण क्रमांक आर / 701 / सेकण्ड / 94 / रीवा बिन्दा विरूद्ध ठाकुर प्रसाद की फाइल पुर्ननिर्मित किये जाने

श्रीमानजी ,

निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यहकि , आवेदकगणों द्वारा अपरआयुक्त रीवा सम्भाग के आदेश दिनांक 28.5.94 के विरूद्ध प्र. क्र. 495/अपील 93-94 के विरूद्ध निगरानी श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो उक्त नम्बर पर दिनांक 14.7.94 को दर्जहोकर श्रीमान न्यायालय में संचालित हुई ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3883/दो/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश बिन्दा/ ठाकुर प्रसाद	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
–1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रामवेवक शर्मा उपस्थित । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा राजस्व मण्डल के न्यायालयीन प्रकरण कमांक निगरानी 701/दो/94 में फर्जी आदेश कराकर गुमे करा दी गयी, खोज करने पर कहीं मिल नहीं रही है और उसमें हुए आदेश का भी पता नहीं चल रहा है । प्रकरण पुनः पुनर्गठित करने का निवेदन किया गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण कमांक 701/दो/94 में दिनांक 5.3.2013 को आदेश पारित किया जाकर निगरानी निरस्त की जा चुकी है। परिणामस्वरूप प्रकरण को पुनर्गठित करने की आवश्यकता नहीं है। यह विविध प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा. रिकार्ड हो। सदस्य	